न्यायालयः–श्रीमती रानो बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला छतरपुर (म0प्र0)

!! निर्णय !! (आज दिनांक **22.04.2026** को घोषित किया गया)	
	आर.सी.टी. प्र0क0–67/2025 सी.एन.आर. नंबर–MP16010005752025 फाईलिंग नंबर–481/2025 संस्थित दिनांक–20.01.2025
आरक्षी केन्द्र महिला थाना के क्षेत्राधिकार अपराध क0 46/24 अंतर्गत धारा 78 बी.एन.एस. से उद्भूत।	
अभियोजन	म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र महिला थाना छतरपुर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री काशीराम पटेल ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्त	हरीश शर्मा तनय ओमप्रकाश शर्मा, उम्र 31 वर्ष, निवासी नैनागढ़ रोड़ गल्लामंडी जिला मुरैना (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री एल.पी. कुशवाहा अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	01.05.2023
प्र.सू.रि. की तारीख	23.07.2024
अभियोग पत्र की तारीख	20.01.2025
आरोपों के विरचना की तारीख	22.04.2025
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तारीख	08.09.2025
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	22.04.2026
निर्णय की तारीख	22.04.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभि. की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिर0 की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	हरीश शर्मा	–	20.01.25	78 बी.एन.एस.	दोषमुक्त	–	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची :–

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.1	अभियोक्त्री	फरियादी/पीड़िता
अ.सा.2	अभियोक्त्री की दादी	अन्य साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
1	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

कं. अभियोजन

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्रदर्श पी.1/अ.सा.1	लिखित आवेदन
02.	प्रदर्श पी.2/अ.सा.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
03.	प्रदर्श पी.3/अ.सा.1	नक्शामौका
04.	प्रदर्श पी4/अ.सा.1	जब्ती पत्रक
05.	प्रदर्श पी5/अ.सा.1	धारा 164 द.प्र.स. के कथन
06.	प्रदर्श पी6/अ.सा.1	पुलिस कथन फरियादी/अभियोक्त्री
07.	प्रदर्श पी7/अ.सा.2	पुलिस कथन साक्षी अभियोक्त्री की दादी

ख. प्रतिरक्षा

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुए :

सं.क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	—	—

1. अभियुक्त के विरूद्ध बी.एन.एस. की धारा 78 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप इस आशय का है कि, उसने दिनांक 01.05.2023 से 23.07.2024 तक की समयावधि के दौरान स्थान फरियादिया के घर ग्राम चन्द्रनगर थाना बमीठा पर फरियादी द्वारा मना करने के बाबजूद भी उसे लगातार कॉल किये और उसका पीछा किया।

2. प्रकरण में विद्यमान तथ्य यह है कि प्रार्थी/अभियोक्त्री के द्वारा अभियुक्तगण से अपराध का शमन किये जाने की अनुमति चाही गयी थी जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्तगण को बी.एन.एस. की धारा 79 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। शेष धारा–78 बी.एन.एस. में अनुमति आवेदन निरस्त किया गया। यह निर्णय अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अशमनीय अपराध अंतर्गत धारा–78 बी.एन.एस. के अंतर्गत पारित किया जा रहा है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 23.07.2024 को आरक्षी केंद्र महिला थाना छतरपुर में आकर इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि सितम्बर 2022 में वह हरीश शर्मा निवासी मुरैना से टेलीग्राम के माध्यम से मिली थी और फिर वह और अभियुक्त हरीश वर्ष 2023 तक रिश्ते में रहे उस दौरान अभियुक्त हरीश उससे मिलने के लिए खजुराहो भी आता था और उसने उसके साथ वाले कुछ फोटो ले लिये थे और उसकी मर्जी के बिना उसने उसके कुछ ऑडियो, वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। दिांक 01 मई 2023 में हरीश की शादी हो गयी थी और उसके बाद उसने अभियुक्त से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन हरीश उसके मना करने के बाद भी अभियौक्त्री को उसकी मर्जी के बिना कॉल करता रहता था और जैसे ही उसकी शादी की बात चलने लगी तो वह और ज्यादा मैसेज व कॉल करके परेशान करने लगा, अभियुक्त को उसके द्वारा बहुत मना करने पर भी वह लगातार फोन करता रहा और फोन न उठाने पर मैसेज भेजता था। जब अभियुक्त नहीं माना तो उसने अभियुक्त का

नम्बर ब्लॉक कर दिया, फिर हरीश उसे अलग–अलग नम्बरों से कॉल व मैसेज करता था और फिर जब उसने सभी नम्बरों को ब्लॉक कर दिया और कॉल व मैसेज का कोई जबाब नहीं दिया तब अभियुक्त ने उसके मोबाईल पर फोन करके धमकी दी कि अगर बात नहीं करोगी तो उसक पर्सनल फोटो सबको भेज देगा और जब उसने अभियुक्त की बात नहीं मानी तो अभियुक्त ने उसके रिलेशन में फोटो, वीडियों व ऑडियों भेजना शुरू कर दिया। तब उसने उक्त बात अपनी भाभी को बतायी, तो अभियुक्त ने उसे फोन कर धमकी दी कि उक्त बात अपनी भाभी को बताकर अच्छा नहीं किया और फिर सभी को फोटो, ऑडियों व वीडियों भेजने की धमकी देने लगा, तब उसने अभियुक्त को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना और जहां भी उसकी शादी तय होती थी तो अभियुक्त वहां फोटो, ऑडियों, वीडियों भेजकर शादी तुड़वा देता था। इसके बाद उसने अभियुक्त के विरूद्ध लिखित शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया था।

4. फरियादी के उक्त लिखित आवेदन पर से अभियुक्त के विरूद्ध महिला थाना के अपराध क0–46/24 अंतर्गत धारा–78, 79 बी.एन.एस. का पंजीबद्ध कर अपराध अन्वेषण में लिया। अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। फरियादी के न्यायालय में धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन लेखबद्ध करवाये गये तथा अभियुक्त को धारा 41–ए द.प्र.स. का नोटिस तामील करवाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। संपूर्ण अन्वेषण अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. अभियुक्त पर आरोपित आरोप लगाये जाने पर उसने आरोप अस्वीकार कर विचारण चाहा। प्रकरण में आयी साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य न होने से अभियुक्त का धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया। अभियुक्त को बचाव में प्रवेश कराये जाने पर उसने बचाव साक्ष्य ना देना व्यक्त किया।

6. प्रकरण के उचित निराकरण हेतु निम्नांकित विचारणीय प्रश्न है कि :–

> **01.** क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.05.2023 से 23.07.2024 तक की समयावधि के दौरान स्थान फरियादिया के घर ग्राम चन्द्रनगर थाना बमीठा पर फरियादी द्वारा मना करने के बाबजूद भी उसे लगातार कॉल किये और उसका पीछा किया ?
>
> **02.** नष्कर्ष एवं अंतिम आदेश ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01 का निराकरण :–

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी/अभियोक्त्री (अ.सा.–01) ने कथन किया है कि वह अभियुक्त को लगभग 3–4 वर्ष से जानती, पहचानती है। अभियुक्त से उसकी पढ़ाई के संबंध में बात होती थी और फिर वह एक–दूसरे से बाते करने लगे इसके बाद वर्ष 2023 में खजुराहो घूमने गये थे तब वहां पर दोनों ने एक साथ फोटो लिए थे, इसके बाद अभियुक्त की शादी हो गयी और उसके बाद भी अभियुक्त उसे मैसेज और फोन करता था तो कुछ समय तक उसने अभियुक्त के मैसेज और फोन का जबाब दिया फिर बाद में मना कर दिया। कुछ समय पश्चात अभियुक्त फिर से उसे फोन और मैसेज करने लगा तो उसने अभियुक्त से बात करने से मना कर दिया और इसी बात को लेकर उसका और अभियुक्त का विवाद हो गया और फिर उसने अभियुक्त के बारे में अपने पिता और भाभी को बताया था, तब उसके पिता ने अभियुक्त को समझाया लेकिन वह नहीं माना तो उसने अभियुक्त के विरूद्ध महिला थाना को लिखित शिकायती आवेदन दिया था जो प्र.पी. 01 है जिसके आधार पर थाना में रिपोर्ट लेख की गयी थी जो प्र.पी. 02 है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 03 उसके समक्ष बनाया था एवं पुलिस ने उसके द्वारा पेश करने पर उसका काले रंग का एम.आई. कंपनी का मोबाईल फोन सिम सहित जब्त कर जब्ती पत्रक प्र.पी. 04 बनाया था, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा पुलिस द्वारा पूर्व में भी न्यायालय के समक्ष उसके कथन लेख कराये थे जो प्र.पी. 05 हैं। पुलिस द्वारा मुझसे पूछताछ कर मेरे बयान लिये थे। अभियोक्त्री की मां रामकुंवर शुक्ला (अ.सा.–02) ने भी अभियोक्त्री/पीड़िता (अ.सा.–01) के कथनों का समर्थन करते हुए कथन किये हैं।

8. अभियोक्त्री (अ.सा.–01) एवं अभियोक्त्री की मां (अ.सा.–02) द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने पर अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को पूछने पर भी उक्त साक्षीगण ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को उसकी मर्जी के बिना फोन करने व मैसेज करने से इंकार किया है। फरियादी/अभियौक्त्री (अ.सा.–01) का सामना लिखित आवेदन, प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पुलिस कथनों से कराये जाने पर उसने उक्त आशय का आवेदन एवं पुलिस रिपोर्ट तथा पुलिस कथन लिखाये जाने से इंकार किया।

9. इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं

फरियादी/अभियोक्त्री के न्यायालयीन कथन तथा पुलिस कथनों में गंभीर विरोधाभाष होकर उसके कथन अविश्वसनीय होकर संदेहास्पद हैं। दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है और संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलता है। संदेह चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **जी. पार्श्वनाथ विरूद्ध कर्नाटक राज्य, 2010 एस.सी.सी. 593 तथा वीरसिंह विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1978 एस.सी.–59** अवलोकनीय है। हस्तगत मामले में अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है वह अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन के सिद्धिभार को उन्मोचित करने हेतु पर्याप्त नहीं है।

10. फलतः अभिलेख पर आई साक्ष्य की उपरोक्त कमवार विवेचना उपरांत अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि उसने दिनांक 01.05.2023 से 23.07.2024 तक की समयावधि के दौरान स्थान फरियादिया के घर ग्राम चन्द्रनगर थाना बमीठा पर फरियादी द्वारा मना करने के बाबजूद भी उसे लगातार कॉल किये और उसका पीछा किया।

<u>विचारणीय प्रश्न कमांक 02 का निराकरण</u> :–

11. अभियुक्त हरीश शर्मा को बी.एन.एस. की धारा 78 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त कर इस प्रकरण में स्वतंत्र किया जाता है।

12. अभियुक्त के पूर्व के समस्त प्रतिभूति पत्र भारमुक्त तथा बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं।

13. प्रकरण में जब्तशुदा एक काले रंग का एम.आई. कंपनी का मोबाईल रेडमी नोट 5 ई.एम.ई.आई. नं. 864450034177867 एवं 864450034177875 तथा एक मोबाईल पोको सी–51 काले रंग का जिसका ई.एम.ई.आई. नं. 862560067089029 एवं 862560067089037 है, के संबंध में थाना प्रभारी महिला थाना को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में संलग्न जब्ती पत्रक अनुसार फरियादी एवं अभियुक्त के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर उन्हें उनसे जब्त मोबाईल फोन प्रदान किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

14. यदि अभियुक्त के विचारण एवं अन्वेषण के दौरान अभिरक्षा में रहा तो तो उक्त संबंध में धारा–468 बी.एन.एस.एस. का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।	मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
सही / –	**सही / –**
(श्रीमती रानो बघेल)	**(श्रीमती रानो बघेल)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
छतरपुर (म.प्र.)	छतरपुर (म.प्र.)